"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2013—पौष 20, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-16/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एम-5/16, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 16 (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग/स्थानीय प्राधिकरण या उक्त अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक प्रयोजन की शासकीय योजना के अधीन स्थापित किसी सार्वजनिक क्षेत्र, उपक्रम निगम, बोर्ड या किसी संस्था द्वारा, उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई विकास/निर्माण किया जाता है और धारा 37 की उप-धारा (3) के अधीन ऐसे अनाधिकृत विकास/निर्माण के नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (5) के अधीन विहित अनुसार शमन शुल्क में छूट दी जा सकेगी:

परन्तु यह भी कि यदि विकास/निर्माण उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियम के उपबंधों तथा विकास योजना के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो संबंधित विभाग/संस्था द्वारा विकास/निर्माण के ऐसे भाग को जो नियमितीकरण हेतु दायी नहीं है, हटा लेने के पश्चात्, शेष भाग को नियमित किया जायेगा तथा संबंधित विभाग/संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 7-16/2010/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-01-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 9th January 2013

NOTIFICATION

No. F 7-16/2010/32.—The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 1975, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. M-5/16, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Naya Raipur, District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. After Rule 16(a), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that if any development/construction is made in contravention of the provisions of the said Adhiniyam by any department of Central Government or State Government/Local Authority or any Authority constituted under the said Adhiniyam or any Public Sector, Undertaking Corporation, Board or any institution established by the Central or State Government, under any Government Scheme of public purpose and submits application for regularization of such unauthorized development/construction under sub-section (3) of Section 37, then relaxation can be given in compounding fee as prescribed under sub-section (5) of Section 37 of the said Adhiniyam by the State Government :

Provided also that if development/construction is not found in accordance with the provisions of the said Adhiniyam and rules made thereunder and the development plan, then after removal of such part of development/construction by the concerned department/institution which is not liable for regularization, remaining part shall be regularized and disciplinary action can be taken against the authorized officer of the concerned department/institution."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALEX PAUL MENON, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.